Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

36-2026/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, MARCH 6, 2026 (PHALGUNA 15, 1947 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA

Notification

The 6th March, 2026

No. 5-HLA of 2026/8 /4452.— The Haryana Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Bill, 2026 is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 5- HLA of 2026

A

BILL

further to amend the Haryana Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-seventh Year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Haryana Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Act, 2026.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 1st April, 2026.

Amendment of section 9 of Haryana Act 6 of 2005.

2. In sub-section (2) of section 9 of the Haryana Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005 (hereinafter called the principal Act),-

(i) in clause (d), the word "and" existing at the end shall be omitted;

(ii) in clause (e), for the sign "." existing at the end, the sign ";" shall be substituted; and

(iii) after clause (e), the following clause shall be added, namely:-

"(f) cap incremental guarantees on term loan to be given during a year at 5% of Revenue Receipts of the previous year or 0.5% of Gross State Domestic Product (GSDP) of the previous year, whichever is lower.".

Amendment of section 11 of Haryana Act 6 of 2005.

3. After sub-section (5) of section 11 of the principal Act, the following sub-section shall be added, namely:-

"(6) Whenever incremental guarantees exceed the limits specified in clause (f) of sub-section (2) of section 9, no fresh guarantee shall be given except for the purpose of replacing high cost debt with low cost debt in such a way that there is no net increase in outstanding guarantees after such debt swap.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The State Government had enacted Haryana Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005, as per recommendations of 12th Finance Commission, vide notification dated 6th July 2005 with an objective to eliminate revenue deficit and to reduce the fiscal deficit within the prescribed limit.

2. In view of the various kind of risk involved with the Guarantees issued by the States, a Working Group on State Government Guarantees was constituted during 32nd Conference of the State Finance Secretaries held on 7th July, 2022 comprising members drawn from the Ministry of Finance, Government of India, Comptroller and Auditor General, a few States and Reserve Bank of India. On the basis of discussion held on 06.07.2023 in 33rd Conference of the State Finance Secretaries (SFS) at RBI Mumbai, Reserve Bank of India recommended that "a ceiling for incremental guarantees issued during a year at 5 per cent of Revenue Receipts (RR) or 0.5 per cent of Gross State Domestic Product (GSDP), whichever is lower."

3. Accordingly, Finance Department has conveyed the concurrence on 04.09.2023 to the recommendation of RBI's Working Group on State Government Guarantees. During the 35th Conference of State Finance Secretaries held on 18.09.2025 at RBI, Mumbai, the Chairman urged all State to consider fixing a realistic target for guarantee ceiling in line with the recommendations of the Working Group.

4. The Principal Accountant General (A&E), Haryana has also raising the issue for fixing a ceiling on State Government Guarantees from time to time.

5. The objective of making further amendment in the Haryana Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005 is to fix the ceiling for providing State Government Guarantee as recommended by the Working Group of RBI and guidelines of the Reserve Bank of India.

6. In view of the recommendation of Working Group of Reserve Bank of India as to the Action Taken regarding fixing the ceiling for providing State Government Guarantee, further amendment in Haryana Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005 is required.

NAYAB SINGH,
Chief Minister, Haryana.

The Governor has, in pursuance of Clauses (1) and (3) of Article 207 of the Constitution of India, recommended to the Haryana Legislative Assembly the introduction and consideration of the Bill.

Chandigarh:
The 6th March, 2026.

RAJIV PRASHAD,
Secretary.

FINANCIAL MEMORANDUM

The State Government had enacted Haryana Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005, as per recommendations of 12th Finance Commission, vide notification dated 6th July 2005 with an objective to eliminate revenue deficit and to reduce the fiscal deficit within the prescribed limit.

The Working Group constituted by the Reserve Bank of India in its report has recommended that State Governments should fix a ceiling on the issuance of Government guarantees.

In order to align the State FRBM Act with the recommendation of the Working Group of Reserve Bank of India, the proposed enactment of Haryana Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Bill, 2026 is to:

(a) "9.(2)(f) cap incremental guarantees on term loan to be given during a year at 5% of Revenue Receipts of the previous year or 0.5% of Gross State Domestic Product (GSDP) of the previous year, whichever is lower.

(b) 11.(6) Whenever incremental guarantees exceed the limits specified in clause (f) of sub-section (2) of section 9, no fresh guarantee shall be given except for the purpose of replacing high-cost debt with low cost debt in such a way that there is no net increase in outstanding guarantees after such debt swap".

As per recommendations of the Working Group of Reserve Bank of India, State Government can fix the ceiling for providing State Government Guarantee. Accordingly, the amendment in Haryana Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005 is required.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2026 का विधेयक संख्या–5 एच. एल. ए.

हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन (संशोधन) विधेयक, 2026
हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन (संशोधन) अधिनियम, 2026 कहा जा सकता है।

(2) यह प्रथम अप्रैल, 2026 से लागू हुआ समझा जाएगा।

2005 के हरियाणा अधिनियम 6 की धारा 9 का संशोधन।

2. हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 (जिसे, इसमें, इसके बाद मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 9 की उप–धारा (2) में,–

(i) खण्ड (घ) में, अन्त में विद्यमान "तथा" शब्द का लोप कर दिया जाएगा;

(ii) खण्ड (ङ) में, अन्त में विद्यमान "।" चिह्न के स्थान पर, ";" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा

(iii) खण्ड (ङ) के बाद, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:–

"(च) एक वर्ष के दौरान दिए जाने वाले सावधि ऋण पर वृद्धिशील गारंटी की सीमा पूर्ववर्ती वर्ष की राजस्व प्राप्तियों का 5% या पूर्ववर्ती वर्ष के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 0.5%, जो भी कम हो, तक सीमित रखेगी।"।

2005 के हरियाणा अधिनियम 6 की धारा 11 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 11 की उप–धारा (5) के बाद, निम्नलिखित उप–धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात्:–

"(6) जब भी धारा 9 की उप–धारा (2) के खंड (च) में विनिर्दिष्ट सीमाओं से वृद्धिशील गारंटी अधिक हो, तो उच्च लागत वाले ऋण को कम लागत वाले ऋण से बदलने के प्रयोजन के सिवाय, कोई भी नई गारंटी नहीं दी जाएगी ताकि ऐसे ऋण बदलाव के बाद बकाया गारंटी में कोई शुद्ध वृद्धि न हो।"।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

राज्य सरकार ने 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राजस्व घाटे को समाप्त करने तथा राजकोषीय घाटे को निर्धारित सीमा के भीतर लाने के उद्देश्य से हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया था। इसकी अधिसूचना 6 जुलाई, 2005 को जारी की गई थी।

2. राज्यों द्वारा जारी की जाने वाली गारंटियों से संबंधित विभिन्न प्रकार के जोखिमों को ध्यान में रखते हुए, 7 जुलाई, 2022 को आयोजित राज्य वित्त सचिवों के 32वें सम्मेलन में राज्य सरकार की गारंटियों पर एक कार्य समूह का गठन किया गया, जिसमें वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कुछ राज्यों तथा भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि शामिल थे। 6 जुलाई, 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई में आयोजित राज्य वित्त सचिवों (SFS) के 33वें सम्मेलन में हुई चर्चा के आधार पर, भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रस्तावित किया कि 'एक वर्ष के दौरान जारी की जाने वाली वृद्धिशील गारंटी की सीमा पूर्ववर्ती वर्ष की राजस्व प्राप्तियों का 5%या पूर्ववर्ती वर्ष के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का 0.5%, जो भी कम हो, निर्धारित की जाए।'

3. तदनुसार, वित्त विभाग ने 04 सितम्बर, 2023 को राज्य सरकार की गारंटियों पर भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य समूह की सिफारिशों पर अपनी सहमति व्यक्त की। भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई में 18 सितम्बर, 2025 को आयोजित राज्य वित्त सचिवों के 35वें सम्मेलन के दौरान अध्यक्ष ने सभी राज्यों से आग्रह किया कि वे कार्य समूह की सिफारिशों के अनुरूप गारंटी सीमा के लिए एक वास्तविक लक्ष्य निर्धारित करने पर विचार करें।

4. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं लेखा परीक्षा), हरियाणा द्वारा भी राज्य सरकार की गारंटियों पर सीमा निर्धारित करने के लिए समय–समय पर आगाहा किया जाता रहा है।

5. हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 में आगे संशोधन करने का उद्देश्य भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य समूह की सिफारिशों तथा भारतीय रिजर्व बैंक के अनुशंसा के अनुसार राज्य सरकार गारंटी प्रदान करने हेतु सीमा निर्धारित करना है।

6. राज्य सरकार की गारंटी प्रदान करने की सीमा निर्धारित करने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य समूह की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में, हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 में आगे संशोधन अपेक्षित है।

नायब सिंह,
मुख्य मंत्री, हरियाणा।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) तथा (3) के अनुसरण में राज्यपाल ने हरियाणा विधान सभा से इस विधेयक को प्रस्तुत करने तथा इस पर विचार करने की सिफारिश की है।

चण्डीगढ़:
दिनांक 6 मार्च, 2026.

राजीव प्रसाद,
सचिव।

वित्तीय ज्ञापन

राज्य सरकार ने 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राजस्व घाटे को समाप्त करने तथा राजकोषीय घाटे को निर्धारित सीमा के भीतर लाने के उद्देश्य से हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया था। इसकी अधिसूचना 6 जुलाई, 2005 को जारी की गई थी।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित कार्य समूह ने अपनी रिर्पोट में सिफारिशें की है कि राज्य सरकारें सरकारी गारंटियां जारी करने की एक सीमा निर्धारित करें।

भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य समूह की सिफारिशों के अनुरूप राज्य के एफ.आर.बी.एम. अधिनियम को समरूप करने के लिए, प्रस्तावित हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2026 के अधिनियमन का उद्देश्य निम्नलिखित है:–

(क) "9.(2) (च) एक वर्ष के दौरान दिये जाने वाले सावधि ऋण पर वृद्धिशील गारंटी की सीमा पूर्ववर्ती वर्ष की राजस्व प्राप्तियों का 5% या पूर्ववर्ती वर्ष के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 0.5%, जो भी कम हो, तक सीमित रखेगी।"

(ख) "11.(6) जब भी धारा 9 की उप–धारा (2) के खंड (च) में विनिर्दिष्ट सीमाओं से वृद्धिशील गारंटी अधिक हो, तो उच्च लागत वाले ऋण को कम लागत वाले ऋण से बदलने के प्रयोजन के सिवाय कोई भी नई गारंटी नहीं दी जाएगी ताकि ऐसे ऋण बदलाव के बाद बकाया गारंटी में कोई शुद्ध वृद्धि न हो।"

भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य समूह की सिफारिशों के अनुसार, राज्य सरकार, गारंटी प्रदान करने हेतु सीमा निर्धारित कर सकती है। तदनुसार, हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 में संशोधन अपेक्षित है।

12476—H.V.S.—H.G.P., Pkl.